

23/8/22

0322  
श्री गणेशाय नमः  
श्री गणेशाय नमः  
श्री गणेशाय नमः

वादी व वादी अधिवक्ता उपस्थित नहीं। वादी व वादी अधिवक्ता को संक-2 कर 3 बार आवाज लगवाई गई। कोई उपस्थित नहीं आया। वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 RAA अदम्य पैरवी, अदम्य क्षाजरी में इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली निगीत लेकर गुम्बर से कम लेकर दाखल पत्र हो



9



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्री करणपुर